

प्रश्न सं. [क. 4093]

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल


क्रमांक/बी-6/1-3/उप./संशो./पार्ट/ 171 भोपाल, दिनांक 02/02/2016

--: आदेश :-

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित फल एवं सब्जी विपणन के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समितियों में लागू "फल-सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन् 2000" में संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/02/2016 तक उपविधि सन् 2000 की कंडिका 5 की उप कंडिका 4 में संशोधन किया जाकर अनिवार्य रूप से स्थापित करे अर्थात् :-

कंडिका (5) की उप कंडिका (4) में शब्द "विक्रय मूल्य का 7 प्रतिशत" के स्थान पर "विक्रय मूल्य का 2 प्रतिशत" स्थापित किया जाता है।

विनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा "फल सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन् 2000" में उपरोक्तानुसार संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में "फल-सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन् 2000" के उक्त संशोधन म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 01/03/2016 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगा।



(अरुण यादव)

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड


भोपाल

क्रमांक/बी-6/1-3/उप./संशो./पार्ट/172

भोपाल, दिनांक 01/02/2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ आफिसर,, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
4. निज सचिव, सचिव, मान0 मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
5. निज सचिव, प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. अपर/संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..... (समस्त) की ओर लेख है कि आपके संभाग की अधीनस्थ मंडियों में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु 15 दिवस में समस्त मंडियों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करें।
7. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर शाखा/प्रांगण शाखा।

  
 प्रबंध संचालक  
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 भोपाल

**अनुभाग अधिकारी**  
 मध्य प्रदेश शासन,  
 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल